प्रतिलिपि आदेश। दिनांक 25-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 2152-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-5-11 पारित द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी हटा जिला दमोह प्र0क्र0 36/अ-6/11-12।

हरप्रसाद तनय रामलाल सैनी
निवासी गांव बहरी तहसील हटा
जिला दमोह
-- अपीलार्थी

विरुद्ध

सियाराम पुत्र सुन्दरलाल छिरौलिया
निवासी ग्राम माझ्यादो तहसील हटा
जिला दमोह म0प्र0
-- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2132/।।।/2014 **जिला दमोह**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28.8.14	यह निगरानी ग्राम बरधा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1936/2 रकबा 1.47 है. के संबंध में सहायक बंदोवस्त अधिकारी, हटा दमोह व्दारा किये गये खसरा सँशोधन आदेश दिनांक निल के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ स्थिति यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी, हटा दमोह व्दारा ग्राम बरधा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1936/2 रकबा 1.47 है. का आदेश दिनांक निल व्दारा सँशोधन किया गया, जिसके विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, हटा के न्यायालय में अपील कमांक 36 अ–6/11–12 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 20–5–14 से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की मांग पर वापिस की गई। तदुपरांत आवेदक की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ विचार योग्य है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी, हटा के आदेश के विरूद्व विचाराधीन निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य है अथवा नहीं ?

म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 65 – बंदोबस्त अधिकारी, उप बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियॉ –

(1) राज्य सरकार, किसी बंदोबस्त अधिकारी या उप बंदोवस्त अधिकारी या सहायक बंदोबस्त अधिकारी में इस संहिता के अधीन की कलेक्टर की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी, जो उसके व्दारा ऐसे मामलों में या ऐसे वर्ग के मामलों में प्रयोग लाई जाएंगी जैसाकि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार किसी उप बंदोबस्त अधिकारी या सहायक बंदोबस्त अधिकारी में

इस संहिता या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी विनिहित कर सकेगी।

उक्त से स्पष्ट है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी के तत्समय पारित आदेश के विरूद्व बंदोबस्त समाप्त होने के वाद प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष होगी एंव आवेदक के पास सक्षम न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त होने से सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य